13/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०।
प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4, 9, 10A
सपठित धारा 151 CPC पर उभयपक्ष
वकुलाय की बहस के पश्चात् हस्तगत
प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि
अप्रार्थी सोहनराज पुत्र खीमराज जाति
जैन निवासी कोट बालियान की मृत्यु
हो चुकी है। जिस तथ्य को प्रार्थी
अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह चौहान भी
स्वीकार करते हैं। परंतु मृत्यु के पश्चात्

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

विधि द्वारा निर्धारित अवधि गुजरने के बाद आज दिनांक तक मृत अप्रार्थी सोहनराज के कायम मुकाम की सूचि व उनकी तलबी के लिए P/F नोटिस पेश नही किए है। तथा उल्टा न्यायालय से यह अनुरोध किया जा रहा है कि प्रतिवादी/ अप्रार्थी के अधिवक्ता से सोहन लाल के वारिसान के नाम व पते की सूचना दिलाई जावें। विधि में यह स्पष्ट सुनिश्चित प्रावधान है कि प्रकरण में वर्णित पक्ष का चाहे प्रार्थी हो या अप्रार्थी उनकी मृत्यु होने पर विधिक वारिसान की सूचना नाम पते सहित नियत समय में प्रार्थी न्यायालय में पेश करें। जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता अपने दायित्व का निर्वहन नही कर न्यायालय से अप्रार्थी पक्ष से सूचना दिलाए जाने की मांग की जा रही है जो न्यायसंगत नही है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र Abate हो चुका है। इसके साथ ही प्रकरण में पटवारी हल्का कोट बालियान व निरीक्षक भू-अभिलेख मुण्डारा की मोका रिपोर्ट तहसीलदार बाली से प्राप्त हुई है। उसके अवलोकन से भी यह ज्ञात है कि IOC द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं. 1129/1 रकबा 0.12 हेक्टेयर की भूमि पर कब्जा नही है। तथा खसरा नं. 1175 के रकबा

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

0.08 हेक्टेयर पर भी IOC का कब्जा नहीं होकर खसरा नं. 1175 के सम्पूर्ण भू-भाग पर खातेदारों का कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रकरण प्रार्थी IOC के पक्ष में साबित नहीं है। तथा अप्रार्थी सोहनराज की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी अधिवक्ता मृतक सोहनराज के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लाने में विफल रहे हैं। लिहाजा प्रार्थी IOC द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 जरिये Abatement खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली